



UTTHAN-CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

Registered under Societies Registration Act XXI of 1860

Registration No. S-29394 of 1996

Registration No. 136230098 under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976

Exempted Income Tax No. 58-59/36/80G/Tech/Alld/2002-2003

NATIONAL N.G.O.

Uttar Pradesh Office :

Dr. KAUSHAL KUMAR

18-A, Auckland Road, Civil Lines

Allahabad-211001 (U.P.) INDIA

Tel.: 0532-2615847

0532-2420454, 2552226 (O)

Mobile : 9335154677

Fax : 0532-2420984, 2552112

Madhya Pradesh Office :

DAYA SHANKAR MISHRA

12/32, Amahiya

Rewa- 486001 (M.P.)

Phone : 07662-241001

Chattisgarh Office :

DHARMESH DUBE

Sakari, District Bilaspur

Chattisgarh

Phone : 07752-283317

Dr. D.N. Tewari
PRESIDENT

Dr. Kaushal Kumar
GENERAL SECRETARY

Ref...U.H.han/2013/1379

Date...24/10/13

The Regional Director,
Northern Regional Council,
National Council for Teacher Education,
Jaipur.

Sir,

**Sub: Shambhunath College of Education, Plot No.- 89, 90 & 91, Village – Rahimabad,
Post Office – Peepalgaon, Tehsil– Sadar, Dist.– Allahabad, State– Uttar Pradesh –
211012.**

Ref: NRCAPP4910- Show Cause Notice

This is in reference to our application for approval for D.El.Ed Course vide our application No. NRCAPP4910. The Esteemed members of the NRC in its 219th Meeting held from 26th to 29th September '2013 had issued a show cause notice for the following reasons:

- Building plan submitted by the institution has not been approved by the competent authority.
- Notarized copy of change of land use certificate issued under clause 143 of UP land Act by the competent authority has not submitted.

We wish to state that as required by the NCTE, we are submitting herewith a Building Plan having all details relating to the Total Land Area, Built up area, Full address of the Institute, Course for which the Building is available, dimensions of each room duly approved by the competent authority.

Also please find enclosed herewith the notarized Conversion of Land Use Certificate bearing Araji No. 89 & 91 bearing No 30 dated 08-05-2012 & Araji No. 90 bearing No. 10 dated 17-02-2009 issued by SDM, Allahabad under clause 143 of the UP land Act.

You are requested to kindly consider the same and issue favourable orders for further Processing of our File.

Thanking you,

Yours sincerely

(Dr. Kaushal Kumar)

Secretary, Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation,
Allahabad.

Secretary

**Utthan-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001**



उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH**

BU 484791

22 OCT 2013 प्रदेश

AFFIDAVIT

I, Dr. Kaushal Kumar, (Secretary) authorized representative of the management/office i.e. Urban-Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation, Allahabad in connection with my application for grant of recognition / permission to conduct Teacher Training course D.El.Ed with 50 intake under section (14/15) of the NCTE Act, 1993 on behalf of the institution namely Shaabunath College of Education, Allahabad do hereby solemnly affirm and state as

1. That we had applied for an approval for D.El.Ed Course vide our application

No. NRCAPP4910

2. That we are submitting herewith the Building Plan Duly approved by the competent authority and having all details relating to total land area, built up area, Dimensions of each room etc

3. That we are submitting herewith the Notarized Conversion of Land Use Certificate Araji No. 89 & 91 bearing No 30 dated 08-05-2012 & Araji No. 90 bearing No. 10 dated 17-02-2009 issued by SDM, Allahabad under clause 143 of the UP land Act.


4. That I do hereby swear that the above declarations/statements are true and correct to the best of my knowledge & belief and it conceals nothing and that no part of this is false. In case the content of affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provisions of the Indian Penal Code and other relevant laws.

K.K. Tewari
Secretary


Signature with seal: Urban-Centre for Sustainable
Name of the Applicant: Dr. Kaushal Kumar
Address: 102G/3 Beniganj, Allahabad-211001

This document has been present before me on this day of 22 OCT 2013 at 10:30 AM in the Court compound, Tehsil Beniganj Dist Allahabad. The execution is freely and voluntarily made by the executant who admit and verify the contents of the document has been explained to me true is hence the document attested.



R.B. Singh
R.B. SINGH
Advocate/Notary
Allahabad
Notary



ELEVATION



SECTION OF STAIR



AREA DETAILS		
S.NO	DETAILS	SQ MTRS
01	COVERED AREA ON GROUND FLOOR	1182.12
02	COVERED AREA ON FIRST FLOOR	1182.12

ALL DIMENSION IN MT

SOLICITOR AFFIRMED before me
 that the above is a true and correct copy of the original
 prepared by Mr. R. B. Singh
 Advocate to be his/her affidavit or
 true and correct which is here by
 verified and attested
 R. B. Singh
 Advocate/Notary
 Allahabad

FIRST FLOOR PLAN

R. B. Singh
 Advocate/Notary
 Allahabad

SCALE 1

CONSTRUCTED BUILDING MAP OF PROPOSED COURSE (D.E.I.E.)
 SHAMBHUNATH COLLEGE OF EDUCATION
 CHAK-RAHIMABAD-ARAZI NO. 89-90-91
 ALLAHABAD

OWNER -
 UTTARAN CENTRE FOR SUSTAINABLE
 DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

BLOCK--A

SIG. OF OWNER

CHECKED BY -
 VARENDRA SINGH
 Batch (Gold Medalist)
 Regd. No. CA/18/11
 SINGH & ASSOCIATES

CHECKED BY - AK

अज्ञात कादेश क्रमांक-08/5/12
नारीय केसल - 08/5/12
न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद।

वाद संख्या 30 सन 2012 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०भू राजस्व अधिनियम
ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव एवं रहीमाबाद परगना व तहसील सदर इलाहाबाद
उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट
एण्ड पावर्टी एलिविश्मान इलाहाबाद प्रति उ०प्र०राज्य व अन्य
द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

निर्णय
=====

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट एण्ड पावर्टी एलिविश्मान इलाहा-
बाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शम्भू नाथ तिवारी नि०
102 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ने ग्राम शाहा उर्फ पीपल
गाँव परगना व तहसील सदर की अटोसं० 1 रकबा 0.0460हे०, अटोसं०005 रकबा
1.1350हे०, अटोसं०06 रकबा 0.2790हे० व अटोसं०02 रकबा 0.4140हे० व भौजा
रहीमाबाद परगना व तहसील सदर की अटोसं० 89 रकबा 0.1230हे०, अटोसं०091
रकबा 1.6870हे०, अटोसं०093 रकबा 0.3990हे० व अटोसं० 94 रकबा 0.6800हे०
को आबादी/अकृषिक घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई। तहसील के नायब तहसीलदार
दक्षिणी सदर की आख्या दिनांक 01-5-2012 जो तहसील सदर द्वारा
दिनांक 02-5-2012 को संस्तुति सहित अग्रसारित है।

द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का प्रत्येकन किया। ग्राम शाहा
उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर की उद्धरण खतौनी 1418-1425 के खता
संख्या 653 के अटोसं० 1 रकबा 0.046हे० व इसी ग्राम के खता संख्या 89 के
अटोसं० 5 रकबा 0.1350हे०, अटोसं०06 रकबा 0.2790हे० व अटोसं० 2 रकबा 0.
4140हे० व ग्राम रहीमाबाद के खता संख्या 6 के अटोसं० 89 रकबा 0.4630हे०
अटोसं० 91 रकबा 1.6870हे० तथा खता संख्या 7 के अटोसं० 93 रकबा 0.399हे०
व खता संख्या 40 के अटोसं० 94 रकबा 0.680हे० पर आवेदकपत्र का नाम बतौर
सकमणीय भूमिधर दर्ज है। नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रथमतः
गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में
लाई जा रही है। अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन
नहीं है।

आदेश
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना
व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की खतौनी 1418-1425 के खता संख्या 653
के अटोसं० 1 रकबा 0.046हे० खता संख्या 89 के अटोसं० 5 रकबा 0.1350हे०, अटोसं०06
रकबा 0.2790हे० व अटोसं० 2 रकबा 0.4140हे० तथा ग्राम रहीमाबाद परगना
व तहसील सदर इलाहाबाद की खतौनी 1416-1421 के खता

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

- 2
Urban-Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

संख्या 6 के आ0सं0 89 रकवा 0.4630है0, आ0सं0 91 रकवा 1.6870है0, छाता संख्या 7 के गाटा संख्या 93 रकवा 0.399है0 व छाता संख्या 40 के आ0सं0 94 रकवा 0.680है0 जो उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवेलपमेंट एण्ड पावर्टी एलिवेशन 18ए आकलैड रोड जिला इलाहाबाद के नाम है की अकृषक घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त कर प्रख्यापित किया जाता है। इस आदेश से किसी सहायतादाता के आंग के क्षेत्रफल एवं स्थिति विशेष पर या स्वाक्षिप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज0वि0 अधिनियम की नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत इस आदेश की एक प्रति उप निबंधक सदर को निःशुल्क निबंधन हेतु भेजी जाय। परवाना जारी हो। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



॥ संतोष कुमार ॥
उप जिलाधिकारी सदर
इलाहाबाद।


सत्य प्रतीति लिपि
०९/११/१२

सहायक सचिव
कार्यालय उप जिलाधिकारी
इलाहाबाद

71 के रकवाक बाबत राश 09/11/12
दिनांक तय्यारी तक 09/11/12
दिनांक प्रकृत राशि की 09/11/12
दिनांक का मूल्य 13.000
रकम लगभग 300000/-


०९/११/१२

4
13.000



Secretary
Uttam Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Amarnagar-211001


रगना
या 653
106
परगना
छाता



बीजा-शाहा ऊर्फ पीपलगोव री रदीमाबाद री री 20 प्रो ज 0 वि 0 310 आकार-पत्र
 उत्थान सेन्टर द्वार संस्थान विल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी रिलीफ प्रोजेक्ट द्वारा खचिव कौशल कुमार द्वारा 143 20 प्रो ज 0 वि 0 310 आकार-पत्र
 वास - 30 से 20/2 धरणी 43 लका 0
 कस्तूर भार्गवा नाठ रद्व (सिधी) कि 0/5/12

क्र. सं.	ग्राम/पंचायत नाम/निवास	खेती सं.	गाटा सं/क्षे.	कस्तूर	गैर कृषि प्रयोजन के लिये		विशेष विवरण
					गाटा सं.	क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8
शाहा ऊर्फ पीपलगोव	उत्थान सेन्टर द्वार संस्थान विल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी रिलीफ प्रोजेक्ट द्वारा खचिव कौशल कुमार द्वारा 143 20 प्रो ज 0 वि 0 310 आकार-पत्र	653	1/0.046	0.880 कस्तूर	1	0.046	उत्थान सेन्टर द्वार संस्थान विल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी रिलीफ प्रोजेक्ट द्वारा खचिव कौशल कुमार द्वारा 143 20 प्रो ज 0 वि 0 310 आकार-पत्र
		89	5/0.1350	10.25 कस्तूर	5	0.1350	कृषि भाषा नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि
			6/0.2790	स्वाते का	6	0.2790	अच्छी कृषि प्रयोजन में
			2/0.14140		2	0.14140	जाई जा रही है।
रदीमाबाद		06	89/0.14630	107.85 कस्तूर	89	0.1230	अच्छी कृषि प्रयोजन में
			91/1.6870	कस्तूर	91	1.6870	भूमि में कोई भी फल
		07	93/0.399	9.85 कस्तूर	93	0.3990	अच्छी कृषि प्रयोजन में
		40	94/0.680	16.80 कस्तूर	94	0.6800	जाता है।

27/05/12
08/5/12



10,000/-

अता ग्राम शाहा ऊर्फ पीपलगोव की खेती नो 1418-23 फु के खाता सं - 653 के गाटा सं - 500

1 रक्बा 0.0460 हे०, खाता सं० - 89 के गा० सं० - 5 रक्बा 0.1350, 6 रक्बा 0.2790, 2 रक्बा 0.14140 हे०
 तथा शा० रदीमाबाद की खेती नो 1416-21 फु के खाता सं० - 06 के गाटा सं० - 89 रक्बा 0.1230 हे०
 07 के गाटा सं० - 93 रक्बा 0.3990 व खाता सं० - 40 के गाटा सं० - 94 रक्बा 0.6800 हे० जो अच्छी कृषि

प्रयोजन में जाने हेतु आरम्भ संस्तुति सीधत प्रेषित है।

1.5.0/2
N.T.O.
सहायक सचिव
कस्तूर (सिधी)
सदर-रदीमाबाद

सहायक सचिव
कस्तूर (सिधी)
महलम
सहायक उप निरीक्षक
कस्तूर, रदीमाबाद
2/5/12

१२/०२/०९ दि. १२/०२/०९

२०१२/०९

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, झाहाबाद ।

तद संख्या १०

सं २००९

आरा १४३ उ० १० जमींदारी विन्याय अधिनियम ।

ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, झाहाबाद ।

उत्तान सेक्टर फार संस्टेनैबल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी एली मिशन

१८९ आकैण्ड रोड, आरा अण्डिय डायलोगी नाथ तिवारी

बनाम

सरकार

निर्णय



प्रस्तुत वाद वादो द्वारा इस कथन के साथ जो जित

किया गया है कि ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, झाहाबाद

की आराजी संख्या २६/०.२६८, ३०/०.११४, ५८/०.०१९, ५९/०.२०५,

६१/०.१०४, ६२/०.२००, ६३/२.४२५, ७३/०.५६३, ७४/०.२०३, ७५/

०.०७३, ७६/०.०१६, ७९/०.१७१, ७९/२ रकबा १.११३, ८२/०.०५१, ५६/०.३२८

८४/०.३६७, १००/०.७३४, ९०/०.२३७, १११/०.४६५, ११२/०.२५१

के संक्रमणीय भूमिपर है तथा मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है

पिछले कई सालों से खेतों नहीं की जा रही है । उपरोक्त आराजी पर

शम्भूनाथ इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी नाम विधायक

को इमारत खड़ी है । इस आराजी के अग्रज बगल भी उक्त विधायक को

इमारत बनाई है । उत्तान संस्थान द्वारा धन के विकास हेतु शिक्षण कार्य

तकनीकी माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा किया जा रहा

है । इस कारण शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय माध्यमिक एवं उच्च

शिक्षण हेतु अकृषिक घोषित किया जाय । पत्रावली तहसीलदार सदर को

स्थलीय परीक्षण हेतु भेजी गयी । नायब तहसीलदार दक्षिणो द्वारा अपनी

आख्या प्रेषित की जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित

किया गया । मैंने पत्रावली पर उपलब्ध राजकीय अभिलेखों एवं नायब

तहसीलदार एवं तहसीलदार सदर की स्थलीय/अभिलेखीय आख्या का

विधिवत परीक्षण किया । नायब तहसीलदार दक्षिणो द्वारा अपनी आख्या

में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त आराजियात वादो के नाम

बतौर संक्रमणीय भूमिपर अंकित है । उक्त समस्त भूमियों पर कई वर्षों से

कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि गैर कृषिक उपयोग हो रहा

है । उक्त भूखंड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़यन

नहीं प्रतीत होती है । जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित

अग्रसारित किया गया है । चूंकि भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है

बल्कि शिक्षण कार्य हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है, इस कारण

शिक्षण कार्य हेतु अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़यन नहीं

प्रतीत होती है

क्रमशः - - - २

Handwritten signature

Secretary

Uttarakhand Sustainable Development & Poverty Eradication Authority-2009

Handwritten signature

Uttarakhand Sustainable Development & Poverty Eradication Authority



आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि स्थापित शिक्षण संस्थान को उपयोगित को दृष्टिगत रखते हुए संव कृषि कार्य न होने के कारण ग्राम रहोमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद जिला आराजो संख्या 26/0. 268, 30/0. 114, 58/0. 019, 59/0. 205, 61/0. 104, 62/0. 200, 63/2 425, 73/0. 563, 74/0. 203, 75/0. 073, 76/0. 016, 56/0. 328, 279/2 रकबा 1. 113, 82/0. 051, 84/0. 367, 100/0. 734, 90/0. 237, 111/0. 465, 112/0. 251 हेतु व 79/0. 171 हेतु को शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण हेतु अकृषि परिषद में स्थापित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो आदेश को सत्यापित प्रति उप निर्बंधक सदर, प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। शक आवश्यक कार्यवाही पत्रावली को खिा दफतर हो।

दिनांक - 17. 2. 2009

17/2/09
अशुतोष कुमार द्विवेदी
 उप जिलाधिकारी, सदर
 इलाहाबाद।

110

दिनांक 25/2/09
 25/2/09
 25/2/09
 जिला अधिकारी
 सदर, इलाहाबाद

सत्यापित
 25/2/09
 जिलाधिकारी
 सदर, इलाहाबाद



R.B. Singh
 Advocate Notary
 Allahabad

R.B. SINGH
 Notary
 Allahabad

SOLEMNLY AFFIRMED before me on..... at AM/PM by Sri/Smt..... Identified by Mr..... Advocate to be his/her affidavit are true and correct Which is here by Verified and attested
 Sl. No.....

R.B. Singh
 Advocate/Notary
 Allahabad

R. B. Singh
 Advocate/Notary
 Allahabad

Secretary
 Utthan-Centre for Sustainable
 Development & Poverty Alleviation
 Allahabad-211001

मुद्रित अंकित है।

उद्धरण खतौनी

तहसील : SADAR

परगना सदर
भाग : 1

मांक : 23060187188
: इलाहाबाद

ग्राम का नाम : रहीमा बाद
फसली वर्ष : 1416-1421

ख्यातदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देब मास्तगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी अड्डा वा उसका संताना इन्की संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
			3	4	5	6	7-12	13

1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

उत्थानसेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलप
मेटएण्डपावर्टीएलीविएशन 18ए
आक्ट्रैन्डरोडद्वारासचिव
दानानाव तिवारी



Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Developmental & Poverty Alleviation
Alahabad-211001

Secretary
Urban-Centre for Sustainable
Developmental & Poverty Alleviation
Alahabad-211001

1409फ.	74	0.2030
1409फ.	82ब	0.0510
1409फ.	58मि.	0.0190
1409फ.	73	0.5630
1409फ.	84	0.3670
1409फ.	62	0.2000
1409फ.	79	0.1710
1409फ.	90	0.2370
1409फ.	111	0.4650
1409फ.	112	0.2510
1409फ.	61	0.1040
1409फ.	75	0.0730
कुल गाटे :	12 कुल क्षे :	2.7040

1416फ.आदेशानुसार श्रीमान उप जिलाधिकारी सदर इलाहाबाद सं.10 धारा 143उप0न0वि0अधि0 ता.फे.17-02-
उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पाटी
एसेसियेशन बनाय सरकार आदेश हुआ कि ग्राम
रहीमाबाद परगना ब तहसील सदर इलाहाबाद की
आ.संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/
0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.56
74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 79/2 / 1.113,
82/0.051, 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237
111/0.465, 112/0.251, व 79/0.171 हे0 को
शिक्षण संस्था तकनीकी चिकित्सीय एवं उच्च शिक्षण हेतु
अकुथिक घोषित किया जाता है। 20-06-09.
1.80

हस्ताक्षर
बंवी चरे
32-61-2-2-12-12